



प्रेस विज्ञप्ति

25.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने पश्चिम बंगाल में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 18.04.2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित 106 अन्य एलएलपी/कंपनियों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, कोलकाता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 18.04.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश करके और इस तरह योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित करके और निष्पक्षता बनाए रखे बिना, प्रासंगिक नियमों का उल्लंघन करके एक-दूसरे के साथ आपराधिक साजिश करके कक्षा IX-X और कक्षा XI-XII में सहायक शिक्षक की अवैध नियुक्ति के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, सीबीआई के आरोपपत्रों से पता चला कि कुल 2081 (कक्षा IX-X के लिए 1135 + कक्षा XI-XII के लिए 946) उम्मीदवारों को डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा दूसरों के साथ आपराधिक साजिश में सहायक शिक्षकों के पद के लिए अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था।

ईडी ने इससे पहले 19/2/2024 को प्रसन्ना कुमार रॉय (उम्मीदवारों से धन और विवरण के कथित संग्रह में शामिल मुख्य बिचौलिया) और 1/4/2024 को शांति प्रसाद सिन्हा [डब्ल्यूबीसीएसएससी के तत्कालीन सलाहकार] को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में सहायक शिक्षकों के भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था और दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले ईडी ने प्रसन्ना कुमार रॉय, शांति प्रसाद सिन्हा के नाम पर रखे गए(भूमि पार्सल और एक फ्लैट) और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित और संचालित विभिन्न कंपनियों/एलएलपी के नाम पर 230.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ।

आगे की जांच जारी है।